पत्रांकः–14 / डी0एल0ए0 / एल0ए0एक्ट(नीति)–06 / 2022...1329....... / रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः–29-07-2026

विषयः– **राज्य अंतर्गत लोकहित के परियोजना निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रक्रिया के तहत अर्जनाधीन खेसरों में अर्जन से बाहर शेष बचे हुए अंश भूमि के संव्यवहार के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के अंतर्गत लोकहित की विभिन्न केन्द्रीय/ राजकीय परियोजनाओं के निर्माण हेतु विभिन्न अधिनियमों के तहत् भू–अर्जन की कार्रवाई की जाती है।

2– भू–अर्जन प्रक्रिया अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की प्रति संबंधित जिला निबंधक कार्यालय को भेजी जाती है, ताकि उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भू–अर्जन की कार्यवाहियों के पूरा होने तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि अर्जनाधीन भूमि का संव्यवहार पर रोक के बावजूद संबंधित व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय।

3– ऐसा पाया गया है कि जिन खेसरों के अंश भाग को अर्जित किया जाता है, उन खेसरों के अर्जन से बाहर के शेष रकवा के संव्यवहार पर भी रोक लगा दिया जाता है, जो कई वर्षों तक जारी रहता है। ऐसे मामलों में निदेशित किया जाता है कि सिर्फ अर्जनाधीन भूमि (रकवा) पर ही रोक लगाई जाय, शेष अंश भूमि के संव्यवहार पर रोक न लगाया जाय।

अतः उक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

28/7/26
(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक–1329......./रा0, पटना, दिनांकः–29-07-2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/7/26
(जय सिंह)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner